


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------


09.12.2021

प्रार्थी वित्तीय संस्था-बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान-बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर


20 ¹²/₂₁

~~पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं थे। फादर के काम पर ही चला पत्रावली फुल्टाइम साबित कार्रवाई दिनांक 27-12-21 को पेश है।~~



सीडर
न्यायालय कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर


27 ¹²/₂₁

~~पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं थे। प्रार्थी की ओर से अलाक पेश किया जा रहा है। अलाक पेश है। अला: पत्रावली दिनांक 1-2-22 को पेश है।~~


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

1-2-2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रैस किया है। अतः वकील प्रार्थी के नोट प्रैस किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Note Book

01/02/2022